।। राज्य विशेष शाखा राजस्थान, जयपुर।।

क्रमांकः—न—5(06) पुविशा/संस्था/कानिस्टेबल भर्ती/2025/ 220

दिनांकः— 13/01/2026

आदेश

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक नं.5( )पु.फो./कानि0भर्ती—25/2024/1360 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक नं.5(03)पु.फो./कानि0भर्ती—25/2025/1535 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा सी.आई.डी. आई.बी के लिये कानिस्टेबल सामान्य ड्यूटी नॉन टीएसपी के (एससी—17 एसटी—22 ईडब्ल्यूएस—07 ओबीसी—08 सामान्य—21) कुल— 79 विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 एवं पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 07/2025 दिनांक 03.04.2025 में निहित प्रावधानानुसार योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाकर दिनांक 13.09.2025 व 14.09.2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उप महानिरीक्षक भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 5545 दिनांक 18.11.2025 द्वारा जारी किया जाकर कुल 395 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा करवाने एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार चयन सूची बनाये जाने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 5886 दिनांक 03.12.2025 एवं 5943 दिनांक 05.12.2025 द्वारा बोर्ड का गठन किया गया। चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 11.12.2025 को चित्रकूट स्टेडियम, जयपुर में शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं बोर्ड प्रोसिडिंग भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को प्रेषित की गई।

उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 6127 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा बोर्ड प्रोसिडिंग एवं चयन सूची का अनुमोदन किया जाकर चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण/चरित्र सत्यापन/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/विशेष योग्यता/भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक/जाति/मूल निवास/आर्थिक पिछड़ा वर्ग इत्यादि मूल प्रमाण पत्रों का ऑन लाईन/ऑफ लाईन सत्यापन एवं पुलिस चरित्र सत्यापन करवाया गया। सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ—15 (1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम/2017 के नियम—16 शैड्यूल—IV में निहित प्रावधानुसार पारिश्रमिक रूपये 14600/—(अक्षरे चौदह हजार छः सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह पर इन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कानिस्टेबल पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हे नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/कार्य ग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता व विशेष भत्ता आदि) देय नहीं होगें तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्वि के गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार होगी। यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, राजस्थान सेवा नियम—1951 एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन रहेगीः—

कानिस्टेबल सामान्य ड्यूटी (नॉन टीएसपी)

S. No.	Roll No.	Name	Father's/Husband Name	Category	Date of Birth	Education	Sex	Address	Cast	Select Category	Select list Number	Belt No.
1	210109947	BALVEER SINGH CHUNDAWAT	MUL SINGH CHUNDAWAT	GENERAL - EWS	08/06/2002	BA	MALE	ग्राम सैलागुडा पोस्ट दिवेर पुलिस थाना राजसंमन्द जिला राजसंमन्द।	RAJPUT	GEN-M-2	2	1157
2	210031161	BALRAM CHOUDHARY	GANGA RAM CHOUDHARY	OBC-NON CREAMY	20/09/1997	12TH	MALE	हिरापथ पुलिस थाना वरूणपथ जिला जयपुर शहर।	JAT	OBC-M-2	4	1158
3	210175063	BAJRANG	PURA RAM	OBC-NON CREAMY	08/12/2004	12TH	MALE	ग्राम सेसाउ ग्राम पंचायत दूदाबेरी तहसील बाड़मेर जिला बाडमेर।	JAT	GEN-M-3	5	1159
4	210029174	AMIT KUMAR GURJAR	RAMJI LAL GURJAR	MBC NON-CREAMY	16/02/2004	12TH	MALE	ग्राम पोस्ट इन्द्रगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।	GURJAR	GEN-M-5	8	1206
5	210066879	RAHUL CHOUDHARY	RADHESHYAM CHOUDHARY	OBC-NON CREAMY	11/04/1999	B.SC	MALE	पांच्यावाला पुलिस थाना करणी विहार जिला जयपुर शहर।	JAT	OBC-M-4	9	1207
6	210068945	AJAY KUMAR JINJVARIYA	RAMESH CHAND JAT	OBC-NON CREAMY	02/08/2000	B.SC	MALE	जयचंदपुरा, पुलिस थाना रायसर जिला जयपुर ग्रामीण।	JAT	OBC-M-5	11	1208
7	210069010	SUNITA	SATPAL	OBC-NON CREAMY	15/08/2002	M.SC/B.ED	FEMALE	ग्राम पोस्ट फेफाना पुलिस थाना फेफाना जिला हनुमानगढ़।	GOSAI	GEN-F-1	12	1209
8	210098654	RAVINA	DALIP SINGH	GENERAL	02/04/2006	12TH	FEMALE	खेडी लम्बोर बडी पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू।	JAT	GEN-F-4	27	1210
9	210140124	VISHNU KUMAR MEENA	RAMJI LAL MEENA	S.T	16/11/2002	B.SC/B.ED	MALE	श्यामपुरा–मोहनपुरा पुलिस थाना, बस्सी, जिला जयपुर शहर।	MEENA	ST-M-3	33	1211
10	210022274	RAMKESH MEENA	DHARM SINGH MEENA	S.T	10/11/1999	BA	MALE	ग्राम उगलूण्ड तह. मण्डावर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा।	MEENA	ST-M-7	40	1212
11	210072508	DINESH KUMAR MEENA	TULSI RAM MEENA	S.T	08/03/2001	BA	MALE	135, सती मंदिर, मोरिजा थाना सामोद, जिला जयपुर ग्रामीण।	MEENA	ST-M-8	41	1213
12	210090020	JAI PRAKASH	SHANKAR LAL	S.C	05/05/2003	12TH	MALE	पोस्ट रोडू पुलिस थाना जसवंतगढ़ जिला डीडवाना–कुचामन।	MEGHWAL	SC-M-5	43	1214

५

13	210172967	MAHESH CHANDEL	RAM AVATAR CHANDEL	S.C	19/07/1998	B.COM	MALE	86/226 न्यू मॉर्डन स्कूल के पास गुर्जर घाटी आमेर रोड़ जलमहल पुलिस थाना ब्रह्मपुरी जिला जयपुर शहर।	KHATIK	SC-M-8	51	1215
14	210195457	MOHIT CHINWAL	MUKESH KUMAR CHINWAL	S.C	01/06/2000	BA	MALE	ग्राम पोस्ट हरसोली तहसील हरसोली पुलिस थाना हरसोली जिला खैरथल–तिजारा।	KHATIK	SC-M-10	53	1216
15	210039435	VARSHA MEENA	MUKESH KUMAR MEENA	S.T	06/11/2006	12TH	FEMALE	वार्ड नं 21 शिवाजी नगर गढ का मोहल्ला पुलिस थाना बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।	MEENA	ST-F-1	59	1217
16	210154732	NITU SHARMA	GOVIND LAL	GENERAL - EWS	21/06/1997	12TH	FEMALE	ग्राम बूटाटी तहसील सांजू पुलिस थाना सांजू जिला नागौर।	SHARMA	EWS-F-2	63	1218

उपरोक्त अभ्यर्थियों की कानिस्टेबल पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी:–

1. कानिस्टेबल पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है जिन अभ्यर्थियों नें 12वीं कक्षा से उच्च शैक्षणिक योग्यता/स्नातक/समकक्ष या स्नातक से उच्च डिग्री के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है, और जिनका सत्यापन नही हो पाया है उनका सत्यापन होने के पश्चात संबंधित की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जायेगा।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शैड्यूल–IV (नियम–16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल के दौरान प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे में जमा नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त नवनियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकाल हेतु की गई है। दो वर्ष की परिवीक्षाकाल की अवधि समाप्त होने पर इनकी सेवाओं की समीक्षा की जावेगी तथा सेवाऐं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इनका परिवीक्षाकाल सक्षम अधिकारी (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अभ्यार्थी के स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होगें। दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात् स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स में लेवल–5, सेल–1 में नियमित वेतन निर्धारण रूपये 20800/– किया जाकर नियमानुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियाँ की जावेंगी।
4. Female कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–103 एवं 104 के तहत् प्रसूति अवकाश देय होगा तथा MALE अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
5. राज्य सरकार के आदेश संख्या–एफ 12 (3) एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–5(5) एफडी/इंश्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021 आदेश संख्या– एफ–5(5) एफडी/इंश्योरेन्स/2020 पार्ट–II दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2021 में वर्णितानुसार आर0जी0एच0एस0 योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियॉ की जायेगी।
7. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ–13(3) एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 एवं आदेश संख्या प–7(1)कार्मिक (क–2)/95/पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त यदि किसी अभ्यार्थी के दो से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जाएगा।

8. विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने, अपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरूद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से ऐसे अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा।
9. विवाहित अभ्यार्थी अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अपने बच्चों के विवरण के संबंध में भी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। विवाह के समय दहेज नही लिया/दिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कानिस्टेबल भर्ती 2025 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक नं.5( )पु.फो./कानि0भर्ती–25/2024/1360 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति कमांक नं.5(03)पु.फो./कानि0भर्ती–25/2025/1535 दिनांक 26.04.2025 के बिन्दु संख्या–17(ii) में अंकितानुसार किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. समस्त नव नियुक्त अभ्यर्थी दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री कम्बल, पहनने के कपड़े मौसम के अनुसार गर्म कपड़े, थर्मल इनर, सफेद स्पोर्ट्स शूज, पुरूष अभ्यर्थी सेविंग किट, महिला अभ्यर्थी जूड़ा बनाने की सामग्री, मैस एडवास राशि 5000/– तथा कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2600/– व 06 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं निर्धारित प्रारूप अनुसार बन्धपत्र, शपथ पत्र के साथ **दिनांक 16.01.2026** तक कार्यालय निदेशक, इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में अपनी उपस्थिति देंगे। सभी पुरूष अभ्यर्थी रिक्रूट के अनुरूप छोटी हेयर कट करवाकर आयेगें। उक्तानुसार निश्चित तिथि तक उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. नियुक्त अभ्यार्थी द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 22ए(1) के अनुसार प्रशिक्षण के अवधि में या उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के दो वर्ष में त्यागपत्र देता है अथवा अन्य विभाग में नियोजन हेतु पद त्याग करता है तो वह प्रशिक्षण काल में प्राप्त की हुई धनराशि एवं सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की राशि लौटाने हेतु बाध्य होगा तथा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप 50/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प बॉण्ड (इकरार नामा) नोटेरीशुदा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेगें। यदि किसी अभ्यार्थी ने इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किया हुआ है तो अभ्यार्थी को ड्यूटी ज्वाईन करने से 01 माह की अवधि में आवेदन के संबंध में सूचना इस कार्यालय में देनी होगी। अभ्यार्थी द्वारा उपरोक्त सूचना नहीं देने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई राजकीय सेवा में है तो नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी डिस्चार्ज/कार्यमुक्त आदेश आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होवें।
14. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर के पत्रांक 4499–4573 दिनांक 08.06.2021 के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुमति देय नहीं होगी।
15. ड्यूटी ज्वाईनिंग के प्रयोजनार्थ अन्य किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ईओबी नं0:– 47
दिनांक:– 13/01/2026

13.01.2026
(सतवीर सिंह)
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति/प्रशिक्षण राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इन्टेलीजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस (एसएसबी/सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस (इन्टेलीजेन्स/सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवावें तथा अभ्यर्थियों की आमद, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध है।

6. सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड प्रथम, सीआईडी विशा जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के बैंक खाते राजस्थान पुलिस सैलेरी पैकेज में जुड़वाने तथा एम्पलॉई आईडी एवं PRAN नम्बर अतिशीघ्र जारी कराना सुनिश्चित करे।
7. ईओबी/निजी पत्रावली लिपिक, विशा जयपुर।
8. प्रभारी, पुलिस वैबसाईट, राजस्थान जयपुर/कम्प्यूटर सैल सीआईडी विशा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पुलिस वेबसाइड पर अपलोड करें।
9. संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपनी उपस्थिति **16.01.2026** तक इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में देना सुनिश्चित करें।

13.01.2026

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।